Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

सड़क के बच्चों की जनसांख्यिकी और रहन-सहन की परिस्थितियों का अध्ययन

Upendra Singh[1]*, Dr. Sarita Singh[2]

[1] Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

[2] Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

***सार** - भारत की सड़कों पर रहने वाले बच्चों के जीवन का अन्वेषण करें, जो कि वयस्क पर्यवेक्षण, सुरक्षा, स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी के कारण देश की सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाली आबादी में से एक है। हर जगह शहरों में सड़क पर रहने वाले बच्चेएक आम दृश्य है; आप उन्हें ट्रैफिक लाइट से लेकर ट्रेन स्टेशन, चर्च से लेकर शॉपिंग मॉल, पुल या फ्लाईओवर के नीचे, या यहां तक कि सड़क के किनारे बैठे हुए हर जगह पा सकते हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। हमारा समाज कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन तमाम हंगामे के बीच सड़कों पर रहने वाले युवा इस उर्ध्वगामी पथ के उपेक्षित शिकार हैं। इन युवाओं के लिए हमारी संस्कृति में व्यापक अवमानना है। एक बड़ी सामाजिक विसंगति के रूप में, यह पूरी तरह से अनैतिक है। परिणामस्वरूप, इन बच्चों के जीवन की परिस्थितियों को सुधारने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे।*

***कीवर्ड** - बच्चे, जनसांख्यिकी, रहन-सहन, परिस्थिति*

---------------------------------X---------------------------------

1. परिचय

भारत में सड़कों पर रहने और काम करने वाले बच्चों की संख्या की कोई स्पष्ट गिनती नहीं है। यह साक्ष्य अंतर दुनिया के बाकी हिस्सों तक भी फैला हुआ है। इसमें आगे कहा गया है कि दुनिया के कई क्षेत्रों में सड़क पर रहने वाले बच्चोंकी घटना बेरोकटोक है, जबकि यह अन्य क्षेत्रों में उभर रही है जहां यह अब तक अज्ञात था। ये बच्चे साल के समय और अपनी परिस्थितियों के आधार पर रुक-रुक कर अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। चूंकि कई के पास पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए उनकी संख्या पर कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। रिपोर्ट में, फॉरगॉटन वॉयसेस, सेव द चिल्ड्रेन ने फिर से नोट किया, सड़कों और रेलवे स्टेशनों (उनके परिवारों के साथ या उनके बिना) पर रहने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या का कोई आधिकारिक अनुमान आसानी से उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विश्वसनीय डेटा की कमी को स्वीकार करता है और कोई भी संख्या बताने से परहेज करता है।

हालाँकि, एक सटीक संख्या की कमी के बावजूद हम देख सकते हैं कि जैसे-जैसे भारत का शहरीकरण हो रहा है, वैसे-वैसे सड़कों पर बच्चों की संख्या बढ़ रही है। जैसा कि हम एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से एक सकल घरेलू उत्पाद की ओर बढ़ रहे हैं जो शहरी क्षेत्रों पर आधारित है, हम एक प्रमुख बदलाव देखते हैं जिसमें हमारे सभी विनिर्माण और सेवाएं शहरों में स्थानांतरित हो गई हैं। हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 65% शहरी क्षेत्रों से आता है इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोग ग्रामीण से शहरी की ओर पलायन करेंगे और यह एक वैश्विक घटना है। भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर बढ़कर 31.16% हो गई है और 2030 तक, यह उम्मीद है कि भारत की शहरी आबादी बढ़कर 40.76% हो जाएगी।

2. सड़क पर रहने वाले बच्चे

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 18 वर्ष से कम आयु के 444 मिलियन से अधिक बच्चे हैं, जो लगभग के बराबर है। भारत की कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत। 0-17 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर, 0-6 वर्ष के

www.ignited.in

बीच के बच्चे भारत में बच्चों की कुल जनसंख्या का लगभग 14% हैं, इसके बाद 17% 7-14 वर्ष के बीच हैं, और शेष 6% 15- आयु वर्ग में हैं- 17 वर्ष। कुल मिलाकर, युवा (जो 18-25 वर्ष आयु वर्ग में हैं) और बच्चों की आबादी 52 प्रतिशत से अधिक है, जो भारत को एक युवा देश के रूप में परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है।अनंतिम जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है जहां उसकी 13.12 प्रतिशत आबादी 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में है। 2001 की जनगणना के बाद से कुल बाल आबादी में गिरावट 5,030,327 है, जहां ग्रामीण बच्चों की आबादी में गिरावट 8,885 है, जो शहरी बच्चों की आबादी में 3,855 की वृद्धि के विपरीत है। सबसे अधिक ग्रामीण और शहरी बच्चों की आबादी उत्तर प्रदेश से दर्ज की गई है जबकि उपरोक्त दोनों श्रेणियों के लिए सबसे कम आंकड़े लक्षद्वीप से दर्ज किए गए हैं।

प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मरने वाले 41 बच्चों की शिशु मृत्यु दर के साथ , संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग ने जहां तक आईएमआर का संबंध है, भारत को कुल 188 सूचीबद्ध देशों में से 144वें देश के रूप में स्थान दिया है। अंतिम रिपोर्ट में भारत में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर पांच वर्ष की आयु से पहले मरने वाले 53 बच्चों का रिकॉर्ड है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन इंडिया की 2018 की रिपोर्ट के अनुसारवर्ष 2018 में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की सबसे अधिक संख्या देखी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 38 प्रतिशत भारतीय बच्चे अविकसित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को 102 वें स्थान पर रखने के बाद रिपोर्ट भारत की अपने बच्चों के संबंध में दयनीय स्थिति का एक और संकेत है क्योंकि देश भूख के एक गंभीर स्तर से ग्रस्त है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अंडर -5 बाल मृत्यु दर की सूची में सबसे ऊपर है, जहां 2018 में 5 वर्ष से कम उम्र के 8.8 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई।

2.1 सड़क पर रहने वाले बच्चों को परिभाषित करना

"सड़कों पर रहने वाले बच्चों की अवधारणा बहुत " विवादास्पद है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह खतरनाक है क्योंकि यह बहुत जल्दी बच्चों का सामान्यीकरण और वर्गीकरण करता है। कुछ व्यक्ति इसेपहचान की भावना के साथ साथ एक समूह में अपनेपन की भावना प्रदान करने- का श्रेय भी देते हैं। बच्चे जो बेघर हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं लेकिन घर पर सोते हैं , जो पारिवारिक संपर्क रखते हैं या नहीं रखते हैं , जो खुले बाजारों में काम करते हैं , जो सड़कों पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार के साथ या अकेले रहते हैं , जो लोग दिन या रैन बसेरों में बहुत समय बिताते हैं, और जो संस्थानों में बहुत समय बिताते हैं , वे सभी इस श्रेणी में आ सकते हैं।

यूनिसेफ द्वारा दी गई गली के बच्चों की परिचालन श्रेणियां:

i. सड़क पर बच्चे

सबसे बड़ी श्रेणी बनाने वाले, ये वे बच्चे हैं जिनके पास घर हैं, और अधिकांश दिन के अंत में अपने परिवारों में लौट आते हैं। वे प्रवासी परिवारों के बच्चे हो सकते हैं , या अस्थायी रूप से विस्थापित हो सकते हैं और उनके अपने घरों में वापस जाने की संभावना है।

ii गली के बच्चे

ये बच्चे सड़क को अपने घर के रूप में चुनते हैं और यहीं पर वे आश्रय, आजीविका और साहचर्य की तलाश करते हैं। कभी-कभार ही उनका अपने परिवार से संपर्क होता है। ये वे बच्चे हैं जो अकेले या समूहों में सड़क पर रहते हैं और गांवों में अपने परिवारों के साथ दूरस्थ पहुंच या संपर्क रखते हैं। कुछ बच्चे काम करने के लिए एक दिन या पीरियड्स के लिए शहरों की यात्रा करते हैं और फिर अपने गाँव लौट जाते हैं।

3. छिपी हुई जनसंख्या: सड़क पर रहने वाले बच्चे

यूनिसेफ द्वारा लाई गई एक और गंभीर सच्चाई भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों की बढ़ती आबादी है। हालाँकि सड़क के बच्चे हर जगह हैं , फिर भी उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि स्थायी आश्रय की कमी के कारण और सड़क पर रहने वाले बच्चों की संख्या किसी भी राष्ट्रीय सर्वेक्षण में दर्ज नहीं की जाती है ; गली के बच्चों को अक्सर छिपे हुए बच्चे कहा जाता है छिपे होने के कारण , उनके साथ दुर्व्यवहार, शोषण और उपेक्षित होने का अधिक खतरा होता है।

शहरी भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चेएक आम दृश्य है, हालांकि, उनकी उच्च दृश्यता के बावजूद, उनकी सटीक संख्या के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस अंतर को भरने के लिए , सेव द चिल्ड्रेन ने 2015 में 5 शहरों लखनऊ -, मुगलसराय-, कोलकाताहावड़ा-, हैदराबाद और पटना में सर्वेक्षण किया। यह विचार इन शहरों में सड़क पर रहने वाले बच्चों की संख्या का अनुमान लगाने

www.ignited.in

के साथ साथ उनके जीवन की गुणवत्ता में अंतर्दृष्टि प्राप्-त करें। सड़कों पर रहने वाले बच्चों की इस जनगणना आदमी/ की गणना में सड़क पर काम करने वाले लगभग85,000 बच्चे गिने गए जो इन 5 शहरों में कुल आबादी का 0.5% या कुल बच्चों की आबादी का 1.25% है। यह इंगित करता है कि भारत की सड़कों पर 20 लाख से अधिक बच्चे हैं।

4. दुनिया भर में सड़क पर रहने वाले बच्चों के खिलाफ हिंसा के विभिन्न आयाम

सड़क पर रहने वाले बच्चों को अपनी तीव्र भेद्यता के कारण विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है। अपनी आर्थिक मजबूरी और गरीबी के कारण उन्हें अपने दैनिक जीवन में बड़ी संख्या में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे अपने जीवन में कम उम्र में ही हिंसा के साथ कई तरह के अनुभव जमा कर लेते हैं। इसके बारे में सबूत देशों भर में मजबूत है। वे नाजुक परिवारों में घर पर दुर्व्यवहार से बचे रहते हैं , गरीबी से पीड़ित अराजक पड़ोस में रहते हैं , शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच अनिश्चित है , सड़कों पर जोखिम का सामना करते हैं , उनके शुरुआती प्रवेश के कारण हिंसा का अनुभव करते हैं

सड़क पर रहने वाले बच्चों के खिलाफ विभिन्न प्रकार की हिंसा को नीचे वर्गीकृत किया जा सकता है। पूरी दुनिया में सड़क पर रहने वाले बच्चों के खिलाफ इस तरह की हिंसा आमतौर पर देखी जाती है।

i. पारिवारिक हिंसा

सड़क पर काम करने वाले बच्चे आम तौर पर अपने परिवारों के लिए योगदान करते हैं। लेकिन ऐसे अधिकांश परिवारों के पिता बहुत क्रूर होते हैं और वे अपने बच्चों की आय को शराब और अन्य व्यसनों में उड़ा देते हैं। वे अपने बड़े हो चुके बच्चों को रोजाना एक निश्चित राशि कमाने के लिए बाध्य करते हैं और यदि वे लक्ष्य राशि अर्जित करने में विफल रहते हैं या यदि कोई बच्चा कमाने के लिए जाने के बजाय खेल के मैदान में कूद जाता है , तो उसे डांटा जाता है, पीटा जाता है और यहां तक कि उसका भोजन भी कम कर दिया जाता है या कभी-कभी पूरे दिन के लिए मना कर दिया। इस तरह की गतिविधि बच्चे में एक कड़वा अनुभव पैदा करती है और वह सड़कों पर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने के लिए घर से दूर रहना पसंद करती है। इस प्रकार शारीरिक शोषण , मानसिक पीड़ा, घर में उपेक्षा आदि बच्चे को घर से दूर भागने और बाहर अकेले रहने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि गली के बच्चे बहुत अशांत घरेलू जीवन का अनुभव करते हैं। विभिन्न बाल युवा-केंद्रित शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि परिवार आधारित हिंसा , दुर्व्यवहार और उपेक्षा सड़क के मुख्य रास्ते हैं।

ii. कार्यस्थल पर हिंसा

पूरी दुनिया में, पुरानी गरीबी और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। जीवित रहने के लिए नौकरी खोजने की संभावना जीवन का मुख्य उद्देश्य है और जिसके लिए उन्हें बाहर आना होगा और मूल रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करना होगा। ऐसे ज्यादातर बच्चे खुद को मोबाइल और अस्थायी गतिविधियों में व्यस्त रखते हैं। वे बेहद खतरनाक और शोषणकारी काम में भी लगे हैं। अपने परिवार से बाहर होने के कारण, ये बच्चे अक्सर अपने संबंधित कार्यस्थलों पर हिंसा और शोषण के सबसे बुरे रूपों के शिकार बन जाते हैं। भेदभाव और भाषा की बाधाएँ उन्हें अपने नियोक्ताओं की दया पर छोड़ सकती हैं , जो वेतन बनाए रख सकते हैं या उन्हें ऋण बंधन या अवैध कारावास में डाल सकते हैं।

iii. मादक द्रव्यों का सेवन

नशीली दवाओं और अन्य मन:प्रभावी पदार्थों का उपयोग और दुरुपयोग गली के बच्चों के लिए एक और खतरा है। यह इन बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य खतरों को जन्म देता है। तनाव, भूख, भावना, शारीरिक दर्द आदि से परेशान होने के लिए गली के बच्चे अक्सर ड्रग्स , शराब और अन्य प्रकार के व्यसनों की ओर रुख करते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन इन बच्चों के अस्तित्व , संरक्षण, वृद्धि और विकास में भारी बाधा उत्पन्न करता है। इनमें से अधिकांश बच्चे गोंद, थिनर, व्हाइटनर, मिट्टी के तेल, पेट्रोल, दर्द निवारक, डीजल और कई अन्य खतरनाक दवाओं और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। यह एक जटिल समस्या है जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। यह इन बच्चों के खिलाफ ऐसी हिंसा है जिसका सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इन बच्चों को नशीली दवाओं और अन्य नशीले पदार्थों के जहरीले तंबू से बचाना बहुत मुश्किल है। इससे मनुष्यता के बीज अर्थात् संतान का समय से पहले विनाश हो जाता है।

iv. पुलिस हिंसा और यातना

पुलिसिया अत्याचार आम नागरिकों के मन में हमेशा दर्द पैदा करता है। उन्हें लगता है कि जब कानून के रखवाले मानवाधिकारों को मौत के घाट उतार देते हैं तो उनका जीवन और स्वतंत्रता नए संकट में आ जाती है। प्रत्येक समाज में पुलिस का मुख्य कार्य अपने नागरिकों की रक्षा करना है न कि उनके विरुद्ध अत्याचार सहित जघन्य अपराध करना। यह ज्यादातर देखा जाता है कि दुनिया के कई हिस्सों में नागरिकों का पुलिस द्वारा शोषण , अत्याचार और उत्पीड़न किया जाता है और इस तरह आम लोगों के सभी बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होता है। यदि वे वयस्कों को इतने क्रूर तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं , तो यह अनुमान लगाना बहुत आसान है कि उनके द्वारा सड़क पर चलने वाले बच्चों पर कितनी हिंसा और दुर्व्यवहार किया जाएगा, जो पूरी तरह से सड़कों पर हैं। चूँकि इन बच्चों के पास कोई नहीं खड़ा है ; पुलिस को उनके साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना करना आसान लगता है। फिर से , अभियोजन पक्ष से पुलिस की एक वास्तविक प्रतिरक्षा है और इसलिए पुलिस सजा के डर के बिना सड़क पर रहने वाले बच्चों पर अत्याचार कर सकती है और पैसे वसूल सकती है।

v. स्कूल में हिंसा

सड़कों से बचाए जाने के बाद सड़क पर रहने वाले बच्चों के कुछ ही हिस्सों को स्कूलों में नामांकित किया जाता है। लेकिन उन मुख्य धारा के स्कूलों में उनके साथ अन्य बच्चों की तरह समान व्यवहार नहीं किया जाता है। उनके साथ जुड़े सामाजिक कलंक और एक नकारात्मक मानसिकता के कारण जो लोग इन बच्चों के प्रति रखते हैं , दंड, घृणा, उपेक्षा, दुर्व्यवहार आदि स्कूलों में भी जारी हैं। स्कूलों में नियमित रूप से दी जाने वाली सजाओं में मारपीट , छुट्टी से इनकार, आइसोलेटर में कैद, भारी श्रम, आहार में कमी और शिकायत प्रक्रिया का सहारा न लेना शामिल है। यहां तक कि ऐसे कई बच्चों को शिक्षकों और छात्रों द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि कई बार वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस प्रकार , इन बच्चों के लिए शिक्षा और विकास के स्वस्थ वातावरण को सुविधाजनक बनाने के बजाय, स्कूल अक्सर हिंसा और दुर्व्यवहार के ही स्थान होते हैं। यह अंततः उनके सीखने के अवसरों को कम कर देता है। ऐसे अधिकांश छात्र मनोवैज्ञानिक आघात और शारीरिक चोट के कारण स्कूल छोड़ देते हैं।

5. आवारा बच्चों के विरुद्ध हिंसा का व्यापक वर्गीकरण

ऊपर उल्लिखित कुछ स्थितियाँ या परिस्थितियाँ हैं जहाँ सड़क पर रहने वाले बच्चों को हिंसा और शोषण की अलग - अलग डिग्री का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी प्रकार की हिंसा को इन बच्चों के विरुद्ध दो व्यापक समूहों शारीरिक हिंसा और - में शामिल किया जा सकता है। वे हैं मनोवैज्ञानिक हिंसा।

i. शारीरिक हिंसा

शारीरिक हिंसा का अर्थ सड़क के बच्चों पर अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली शारीरिक यातना , चोट आदि है। यह उनके परिवार के सदस्यों, पुलिस, नगरपालिका अधिकारियों, समाज के अन्य सदस्यों , साथी गली के बच्चों और किसी भी परिस्थिति में उनके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के कारण हो सकता है। गली के बच्चे समाज के सबसे गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। यह सामाजिक-आर्थिक नुकसान है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा की कमी होती है और उन पर शारीरिक हमला किया जाता है जिसके खिलाफ वे रोजाना जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। ये अपराधियों द्वारा इन बच्चों के खिलाफ जानबूझकर किया गया व्यवहार है जिससे उन्हें शारीरिक रूप से पीड़ित होना पड़ता है। गली के बच्चों के खिलाफ शारीरिक हिंसा इन बच्चों की आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई है , यानी शोषणकारी बाल श्रम जिसके लिए वे विशेष रूप से कमजोर हैं।

ii. मनोवैज्ञानिक हिंसा

सड़क पर रहने वाले बच्चों को लगभग नियमित रूप से शारीरिक हिंसा की आदत होती है। लेकिन , इसके अलावा, वे मनोवैज्ञानिक हिंसा के शिकार भी होते हैं , जिसका परिणाम आमतौर पर असुरक्षा और आत्म सम्मान की-कमी होती है। इन बच्चों का यह समग्र कलंक सड़क के बच्चों के पतन की एक सतत पृष्ठभूमि बनाता है। उदाहरण के लिए , समाज द्वारा इन बच्चों के खिलाफ आम मौखिक दुर्व्यवहार , जिसमें उनके माता पिता और-परिवार के बारे में अपमानजनक टिप्पणी शामिल है, उन्हें हर पल यह महसूस कराता है कि वे बेकार और बेकार संस्थाएं हैं, कोई भी उन्हें नहीं चाहता है और उनका कोई मूल्य नहीं है। इसके अलावा , भावनात्मक समर्थन की कमी, अलगाव, आतंकवाद का शिकार होना , घरेलू हिंसा को देखना , विशेष रूप से शराबी पिता द्वारा माँ को प्रताड़ित करना, यौन हिंसा का शिकार होना आदि कुछ प्रमुख कारक हैं जो इन बच्चों के कोमल मन को प्रभावित करते हैं। और परिणामस्वरूप , उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुँचाया जाता है। लेकिन इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रभाव आम तौर पर अदृश्य होते हैं और लंबे

www.ignited.in

समय तक बने रहते हैं। कभी कभी तो पूरे जीवन भ-र भी मनोवैज्ञानिक हिंसा का प्रभाव बना रह सकता है।

6. भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों की श्रेणियां

भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चों को उनके रिश्तों और उनके परिवारों के साथ संपर्क के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन समूहों पर नीचे चर्चा की जा सकती है।

i. बच्चे जो अपने परिवार के साथ रहते हैं , चाहे वह सड़क पर हों , झुग्गी-झोपड़ियों में हों या बंजर भूमि में हों या परित्यक्त या परित्यक्त इमारतों आदि में हों , लेकिन काम करने या सड़कों पर लटके रहने में बहुत समय व्यतीत करते हैं। गली के बच्चों के इस समूह को सबसे बड़ा समूह माना जाता है।

ii. वे बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं और काम करते हैं और कभी-कभार ही अन्य स्थानों पर रहने वाले अपने परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। ये बच्चे कभी-कभी अपने माता-पिता और रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं। इन बच्चों के लिए सड़क उनके घर की तरह होती है , हालांकि वे अपने माता-पिता और रिश्तेदारों से कभी-कभार ही मिलते हैं।

7. निष्कर्ष

गली के बच्चों का मुद्दा हमेशा उपेक्षित रहता है। सत्ता के भूखे राजनेता हर बार चुनाव से पहले समाज के सभी पहलुओं में विकास , विकास और उत्थान के बारे में तरह - तरह के वादे करते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में आते हैं और अपनेअपने पदों पर आसीन होते हैं-, तो सभी वादे लंबित हो जाते हैं और उनमें से अधिकांश होते हैं पूरी तरह से भुला दिया गया। हालांकि कई गैर सरकारी संगठन इन बच्चों के पक्ष में काम कर रहे हैं , लेकिन सरकार की मदद और सच्ची भावना के बिना , यह इन बच्चों की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा सड़क के बच्चों की असहाय स्थिति पर ध्यान नहीं देता है और शोषण और पीड़ा के बदले में उनसे अतिरिक्त सेवा लेने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो उन बच्चों से बेहतर जीवन जी रहे हैं। इन बच्चों की जरूरतें सबसे बड़ी हैं, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों के सबसे बड़े उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। देश के भविष्य के नागरिकों, देश के बच्चों में निवेश करने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के इस तरह के फैसलों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। शब्द का उपयोग सार्वभौमिक रूप से "बच्चों" किया जाना चाहिए।

संदर्भ

अन्नोशियन, एल। (2005)। बेघर बच्चों के जीवन में हिंसा और आक्रामकता: एक समीक्षा। आक्रामकता और हिंसक व्यवहार, 10(2): 129-152।

बंडुरा, ए। (2001)। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। न्यू जर्सी: प्रेंटिस हॉल।

भुक्कल, गीता (2015)। नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के बच्चों के अधिकार में नो डिटेंशन प्रावधान के संदर्भ में सीसीई के मूल्यांकन और कार्यान्वयन पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड उप समिति की रिपोर्ट।

डी लीमा और आर. गोसलिया (2007), सड़क पर रहने वाले बच्चेऑफ बॉम्बे: ए सिचुएशनल एनालिसिस , नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।

दासगुप्ता, ए.के. (2007)। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक थिंक। लंदन, इंग्लैंड: रूटलेज।

आप्टेकर, एल. (2001). द सड़कपररहनेवालेबच्चेऑफ कैली। डरहम, एनसी: ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस।

अर्न्टसन, एल. एंड नुडसन, सी. (2004)। मनोसामाजिक।

बार्कर, जी., नॉल, एफ., कसानिगा, एन. और श्रेडर , ए. (2000)। शहरी लड़कियां: विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में सशक्तिकरण। लंदन: इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी प्रकाशन।

भट्टाचार्य, दीपक (2015) आरटीई अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन की दिशा में स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की भूमिका धारणा और भूमिका प्रदर्शन: प्रांगण्य , सामाजिक विज्ञान जर्नल।

बख्शी पी.एम. (2006), भारत का संविधान, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा। लिमिटेड दिल्ली।

सेलिक, एस एंड बेबुगा, एस एम (2009)। सड़क पर काम करने वाले बच्चों के बीच मौखिक , शारीरिक और यौन

शोषण। ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ एडवांस्ड नर्सिंग , 26 (4):19-20।

चियाचिया, एम। (2012)। अदृश्य चोटें: ऑनलाइन छात्रों में घरेलू हिंसा संकेतकों को समझना और फैकल्टी कैसे सहायता प्रदान कर सकते हैं।

भारत में बच्चे , (2018): एक सांख्यिकीय मूल्यांकन। सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग , केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय , भारत सरकार।

कंसोर्टियम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रेन (2003): स्ट्रीट चिल्ड्रेन के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने पर दक्षिण पूर्व एशिया को बढ़ावा देने और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक सिविल सोसाइटी फोरम

धरम सिंह, निष्ठा सरीन, और देवेंद्र सरीन (2008)। उदयपुर के सड़क पर रहने वाले बच्चे: डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, स्टडीज ऑफ ट्राइब्स एंड ट्राइबल्स , 6:2, 135-139,

---

Corresponding Author

Upendra Singh*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.